

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
शम्भूसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत, निवासी ओमनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		अभयसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत, निवासी ओमनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर हाल निवसी खारा टावरीया तहसील नौख, जिला जैसलमेर वगैरा (09)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53, 188 व 207)

मुकदमा नम्बर 106/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.07.2023	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सिंहाग ने यह प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद/अपील 53,188 व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 29.8.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
29.8.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 3.11.23 को पेश हो। शिव	
3.11.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 3.4.24 को पेश हो।	
3.4.24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 12.8.24 को पेश हो।	
12.8.24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली हेतु दिनांक 28.10.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	



तारीख
हुस

28.10.24

पत्रावली पेश। पत्नी वकी उपस्थित।
पत्रावली प्रतिवादी की मांगिली है
अवसर दिए जाकर दिनांक 19.12.24 को पेश हो

19.12.24

पत्रावली पेश हुई।
साहायक कलक्टर
(SDO) शिव
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रवाची कार्यवाही नहीं होने के
कारण इलज्ज होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानु
दिनांक 10.02.25 को पेश हो।

10.2.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलज्ज
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा
दिनांक 21.4.25 को पेश हो।

10/3/2025

पत्रावली वादी के प्रा.पत्र पर ललज की गई।
वादी सप अधिवक्ता ने उपस्थित होकर ललज
प्रार्थना फल मूल वाद को जरिये किद्रा खारीज
किद्रा जाने का फलजुल किया।

वादी सप अधिवक्ता को सुना एवं
पत्रावली का इन्वोकेशन किया गया, जूकि
वादी स्वयं उपस्थित होकर अपने इस वाद
को जरिये किद्रा खारीज किद्रा जाने का
निवेदन किया है, डाला सुकल वाद को
जरिये किद्रा खारीज किद्रा जाने से कोई
अपिले फलील नहीं होती है।

लिहाजा वादी के वाद को इसी ललज
रतेज पर खारीज किया जाता है, पत्रावली
केवल सुमार होकर हाकिम ललज हो

शिव

Shiv

(साहायक कलक्टर)

10.03.2024

साहायक कलक्टर
(SDO) शिव